

फर्द अहकाम

2021/219





श्री श्री देवी

बनाम श्री पंचपात खेतपुरा

लय : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 144/21

दावा

क्र. आ. कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10-21	<p>वादी का दावा पत्र वादी के अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा द्वारा विद्वान् प्रतिवादीगण के दावा अर्जत धारा 188 आर. टी. एम् के प्रेषण किया गया। दावा पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को तलबी जारी रजिस्टर नोटिस से अवगत होकर पत्रावली क्र. 14.12.21 को खेतपुरा केम में प्रेषित।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर पंचपात खेतपुरा</p>	
14 15/21	<p>पत्रावली प्रशासन गौदा के सत्र अधिवक्ता केम खेतपुरा में प्रेषित। वादियाँ रूप उपस्थित प्रतिवादी सं. 1 व 2 उपस्थित। पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय में दिनांक 15.2.22 को प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p> श्री. पी. देवी (पुत्र) दुर्गागणसहाय</p>
15 2/21	<p>पत्रावली प्रेषित हुई। वहील वादी उपस्थित नहीं। प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं के उपस्थित थे आज उपस्थित नहीं है। अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली क्र. 8.4.22 को प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;"></p>	
08/04/22	<p>पत्रावली प्रेषित हुई। वहील वादी पूर्व प्रेषण पर उपस्थित नहीं था आज भी उपस्थित नहीं है। ना ही वादीगण उपस्थित है न्यायालय समय तक कक कक कर आवाजें लगवायी गई परन्तु ना तो वादीगण उपस्थित हुए।</p>	

बनाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p>ना ही उनकी ओर से कोई वकील आई उपस्थित हुआ। अतः वादीगण का वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील काखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">(१५)</p>